संख्या-3/2015/1590/22-4-14-48(28)/13टीसी

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-03 जनवरी, 2015

विषय- घनी आबादी के मध्य आ गयी जिला कारागार, इटावा को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के लिए नवीन जिला कारागार इटावा के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-37886/नम-4/195, दिनांक-17.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि घनी आबादी के मध्य आ गयी जिला कारागार, इटावा को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु नवीन जिला कारागार, इटावा के निर्माण के लिये व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1,83,91,88,000/-(रूपया एक अरब तिरासी करोड. इक्यानवे लाख अट्ठासी हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 20,00,00,000/-(रूपया बीस करोड. मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित वाट आउट आइटम्स श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(5) प्रायोजना अन्तर्गत थर्ड पार्टी इन्सपेक्सन हेतु पैनल का चयन महानिरीक्षक कारागार द्वारा किसी प्रतिष्ठित पैनल में से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि निर्माण कार्य का सतत् अनुश्रवण हो और कार्यो की गुणवत्ता बनी रहे। साथ ही प्रायोजना की लागत में टाइम एवं कास्ट ओवर रन न होने पाये।

(6) प्रोप्रारइटरी श्रेणी के कार्यों के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन की लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत- महानिरीक्षक कारागार/कार्यदायी संस्था से यह अपेक्षा है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना वित्तीय नियमों के आधार पर ही किया जाय।

(7) प्रायोजना में मिट्टी भराई मद में रू0 2241.70 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी। जिलाधिकारी की तकनीकी समिति की संस्तुति न होने के कारण इस मद में फिलहाल एक मुश्त 10 प्रतिशत रू0 224.17 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की जाय। यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति में जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य एस0डी0एम0 स्तर से निम्न का न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभाग सहमत होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक परियोजना की लागत बढी हुई मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढी हुई लागत को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(8) प्रायोजनान्तर्गत भूमि का समतलीकरण उद्यानीकरण, एस0टी0पी0, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, वाटर पाइप लाइन,सीवर पाइप लाइन एवं एच0टी0 लाइन शिफ्टिंग हेतु तदर्थ आधार पर लागत पर प्रस्तावित की गयी है। इन कार्य मदों का विस्तृत आगणन जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर गठित किये जायं तथा उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(9) प्रशनगत परियोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। अत: प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एंव विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्वि, लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्ट्रक्चर पर निर्माण कराया जाना, सामान्य फाउन्डेशन के स्थान पर पाइल/राफ्ट फाउण्डेशन पर निर्माण कराया जाना एवं उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल कराना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित/कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की द्रष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि वह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। लेबर सेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(14) परियोजना से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है। टिप्पणी में अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-11/दस-2015, दिनांक-03 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-3/2015/1590(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इटावा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in